भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2605

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

टीपीडीएस की समीक्षा

2605. श्री अरुण भारती:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार, विशेषकर बिहार में कुल कितना खाद्यान्न जारी किया गया;

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेषकर जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में कितना खाद्यान्न वितरित किया गया था;

(घ) क्या सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का विचार जनता के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जैव-संपुष्ट खाद्य पदार्थों का वितरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लागू की जाती है। यह अधिनियम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी को और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों में प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार शामिल हैं। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं और एएवाई के तहत कवर किए गए परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। टीपीडीएस के तहत दिसंबर, 2022 तक सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। तथापि, दिनांक 1 जनवरी, 2023 से इस अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

...2/-

टीपीडीएस, केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत प्रचालित होती है। खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करना और उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्य-प्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती हैं।

(ख): भारत सरकार, एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के मासिक वितरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न आबंटित करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न के आबंटन और उठान का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों का जिलेवार वितरण डाटा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ): प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटीकृत कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुददुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी कैश अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब तक देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख उचित दर दुकानों को ईपीओएस डिवाइस संस्थापित कर स्वचालित किया गया है, ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके।

टीपीडीएस में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य इसकी कार्य-प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना, इसे सुदृढ़/सुव्यवस्थित बनाना है और आवश्यक वस्तु अर्थात खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने, उपलब्धता और वितरण को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी/सतर्कता में सुधार करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने और विशेष रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी और सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिकी रखरखाव के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 को दिनांक 15 जनवरी, 2024 के सा.का.नि. 43 (असाधारण) के माध्यम से संशोधित किया गया है।

(ङ.): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल फोर्टिफिकेशन के लिए रासायनिक फोर्टिफिकेशन की विधि को अपनाया है। इसलिए पीडीएस के माध्यम से जैव-फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के वितरण से संबंधित सूचना को शून्य समझा जाए।

*****

अनुबंध-क

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2605 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

खाद्यान्नों का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अक्तूबर)	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	आंध्र प्रदेश	1871.844	1750.856	1871.844	1859.240	1871.844	1893.663	1091.909	1084.379
2	अरूणाचल प्रदेश	88.996	79.840	88.996	85.958	88.996	95.341	51.914	50.920
3	असम	1694.726	1616.667	1695.130	1687.727	1695.130	1429.838	988.826	929.063
4	बिहार	5527.100	4890.761	5527.100	5153.630	5527.100	4924.707	3224.142	2658.863
5	छतीसगढ	1384.056	1376.739	1384.056	1384.425	1384.056	1386.696	807.366	813.230
6	दिल्ली	448.682	402.235	448.693	467.468	448.777	451.269	261.802	249.389
7	गोवा	59.045	58.223	59.045	52.127	59.045	39.910	34.443	27.271
8	गुजरात	2175.742	2014.515	2185.375	2103.347	2211.234	2015.571	1229.157	1204.068
9	हरियाणा	795.000	640.430	795.000	651.067	795.000	690.530	449.750	440.828
10	हिमाचल प्रदेश	508.020	504.634	508.020	501.670	508.020	501.546	296.344	293.802
11	झारखंड	1724.899	1501.655	1743.731	1708.011	1751.020	1545.747	1021.996	904.352
12	कर्नाटक	2608.820	1839.458	2608.836	2079.675	2608.836	2039.171	1326.729	1167.468
13	केरल	1425.049	1372.519	1425.049	1450.538	1425.048	1350.766	831.279	780.323
14	मध्य प्रदेश	3165.838	3064.797	3259.683	3040.846	3436.082	3315.130	2038.047	1939.452
15	महाराष्ट्र	4605.192	3515.638	4605.189	3592.924	4605.188	4128.500	2686.359	2224.895
16	मणिपुर	130.994	121.623	136.172	122.378	136.286	132.046	79.500	86.296
17	मेघालय	176.298	172.013	176.298	178.800	176.298	179.785	102.841	102.769
18	मिजोरम	65.758	64.360	65.758	66.561	65.758	65.027	38.359	38.359
19	नगालैंड	138.058	132.705	138.058	135.946	138.058	137.025	80.534	81.376
20	ओडिशा	2244.231	1991.198	2249.705	2168.805	2251.617	2676.293	1314.946	1140.809
21	पंजाब	870.120	879.690	870.120	659.740	870.120	651.030	507.570	421.162
22	राजस्थान	2770.584	2543.827	2770.584	2623.336	2770.584	2573.740	1616.174	1473 508
23	सिक्किम	44.324	41.475	44.324	45.161	44.325	44.397	25.856	24.997
24	तमिलनाडु	3677.752	2946.119	3677.752	3060.996	3677.752	2991.865	2143.466	2636.854
25	तेलंगाना	1338.000	1292.128	1338.000	1326.799	1338.000	1320.682	780.403	719.742
26	त्रिपुरा	271.231	213.153	271.224	253.046	271.231	236.363	158.218	167.149
27	उत्तराखंड	502.999	570.108	502.991	476.647	502.990	482.361	293.411	278.507
28	उत्तर प्रदेश	9782.054	8528.748	9878.535	9678.144	9935.484	9238.698	5682.550	5388.142
29	पश्चिम बंगाल	3970.620	3817.032	3970.620	4127.336	3970.620	4325.742	2316.195	2441.501
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	29.558	20.927	29.558	22.293	29.558	20.524	17.242	17.181
31	चंडीगढ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32	दादरा एवं नगर हवेली								
33	दमन एवं दीव	15.421	14.422	15.162	15.324	15.128	15.023	8.825	8.884
34	जम्मू एवं कश्मीर	734.654	561.973	734.654	514.560	734.654	566.177	428.548	322.990
35	लद्दाख	16.427	15.238	16.427	15.791	16.427	15.595	9.582	10.323
36	लक्षद्वीप	4.620	4.844	4.620	4.027	4.620	3.667	2.695	2.469
37	पुदुचेरी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	कुल	**54866.713**	**48560.549**	**55096.309**	**51314.345**	**55364.884**	**51484.423**	**31946.976**	**30131.318**

उठान स्रोतः भारतीय खाद्य निगम

******